



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 602]	नई दिल्ली, शुक्रवार, अक्तूबर 11, 2019/आश्विन 19, 1941
No. 602]	NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 11, 2019/ASVINA 19, 1941

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 अक्तूबर, 2019

सा.का.नि. 776(अ).—केंद्रीय सरकार, कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 467 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम की अनुसूची-7 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:—

उक्त अनुसूची 7 में, मद (ix) और इससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित मद और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्:—

“(ix) केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार का कोई अभिकरण या पब्लिक सेक्टर उपक्रम द्वारा वित्त-पोषित इन्क्यूबेटर को अभिदाय और संधारणीय विकास लक्ष्यों (एसडीजी) को बढ़ावा देने के उद्देश्य से विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरी और औषध में अनुसंधान कार्य के संचालन में कार्यरत सार्वजनिक वित्त-पोषित विश्वविद्यालय, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी), राष्ट्रीय प्रयोगशालाएं और स्वायत्त-शासी निकायों (भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर), भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर), वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद (सीएसआईआर), परमाणु ऊर्जा विभाग (डीएई), रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (डीआरडीओ), विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (डीएसटी), इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तत्वावधान के अधीन स्थापित) को अभिदाय;”

2. यह अधिसूचना राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगी।

[फा. सं. 13/18/2019-सीएसआर]

के. वी. आर. मूर्ति, संयुक्त सचिव

टिप्पण : अनुसूची-7 तारीख 01 अप्रैल, 2014 से प्रवृत्त हुई थी और उसे तारीख 27 फरवरी, 2014 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 130(अ), तारीख 31 मार्च, 2014 के शुद्धि-पत्र संख्या सा.का.नि. 261(अ), तारीख 06 अगस्त, 2014 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 568(अ), और तारीख 24 अक्तूबर, 2014 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 741(अ) और तारीख 30 मई, 2019 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 390(अ) के द्वारा संशोधित (01 अप्रैल, 2014 से प्रभावी) किया गया था।

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 11th October, 2019

G.S.R. 776(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 467 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013), the Central Government hereby makes the following further amendments to Schedule VII of the said Act, namely:-

In the said Schedule VII, for item (ix) and the entries relating thereto, the following item and entries shall be substituted, namely:-

“(ix) Contribution to incubators funded by Central Government or State Government or any agency or Public Sector Undertaking of Central Government or State Government, and contributions to public funded Universities, Indian Institute of Technology (IITs), National Laboratories and Autonomous Bodies (established under the auspices of Indian Council of Agricultural Research (ICAR), Indian Council of Medical Research (ICMR), Council of Scientific and Industrial Research (CSIR), Department of Atomic Energy (DAE), Defence Research and Development Organisation (DRDO), Department of Science and Technology (DST), Ministry of Electronics and Information Technology) engaged in conducting research in science, technology, engineering and medicine aimed at promoting Sustainable Development Goals (SDGs);”

2. This notification shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

[F. No. 13/18/2019-CSR]

K. V. R. MURTY, Jt. Secy.

Note : The Schedule VII was brought into force with effect from the 1st April, 2014 and was amended (effective from the 1st April, 2014) vide notification number G.S.R. 130(E), dated the 27th February, 2014, Corrigenda number G.S.R. 261(E), dated the 31st March, 2014, notification number G.S.R. 568(E), dated the 6th August, 2014, notification number G.S.R. 741(E), dated the 24th October, 2014 and notification number G.S.R. 390(E), dated the 30th May, 2019.